छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : SM-PRO-2018-00246

छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रार (रेरा), रायपुर विरूद्ध श्री आर.एस. प्रापर्टीज द्वारा श्री विजय पंजाबी, रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
23/01/2019	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक द्वारा रेरा में स्वयं का एजेंट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराए बिना विभिन्न रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में रियल एस्टेट एजेंट का कार्य किया जा रहा था। – इस संबंध में अनावेदक को आहूत कर स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर मौखिक जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदक द्वारा प्रमुख रूप से कथन किया गया है कि उसे रेरा से संबंधित प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण अनजाने में यह चूक हुई है। अनावेदक ने एजेंट रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण के समक्ष ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने और भविष्य में रेरा अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखकर कार्य करने का कथन करते हुए सद्भाविक त्रुटि के लिए क्षमा करने का अनुरोध किया है। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रकरण में अनावेदक द्वारा एजेंट रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया है। प्रकरण की परिस्थितियों से परिलक्षित होता है कि अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण उनके द्वारा की गई चूक सद्भाविक है। अतः अनावेदक को अधिनियम के प्रावधानों का भविष्य में उल्लंघन न करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेखागार भेजा जावे। (नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (विवेक ढाँड) अध्यक्ष भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर	